भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.5302

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

तमिलनाडु में अमृत योजना के अंतर्गत कवर किए गए शहर और नगर

+5302. श्री जी. सेल्वमः

श्री नवसकनी के.:

श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में अटल पुनरूद्धार और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत कुल कितने शहरों और नगरों को शामिल किया गया है;

(ख) तमिलनाडु में अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण किए गए और लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अमृत योजना के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) तमिलनाडु में जल आपूर्ति और स्वच्छता अवसंरचना में सुधार करने में अमृत योजना के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) तमिलनाडु में अमृत योजना के अंतर्गत कितने घरों को नए जल कनेक्शन और मल-जल निकास सुविधा प्राप्त हुई है;

(च) इस योजना के अंतर्गत शहरी जल आपूर्ति की गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(छ) तमिलनाडु में अमृत योजना के अंतर्गत शहरी हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने और खुले स्थानों को विकसित करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) तमिलनाडु में अमृत योजना के अंतर्गत कुल कितने पार्क और हरित क्षेत्र विकसित किए गए हैं और उनका समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ज): जल राज्य का विषय है और जल प्रबंधन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती

है। सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसी विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क; और बिना मोटर वाले शहरी परिवहन के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया था। तमिलनाडु राज्य के 28 शहर/कस्बों को अमृत के अंतर्गत शामिल किया गया है।

तमिलनाडु राज्य द्वारा अमृत पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, अमृत के तहत राज्य में 445 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इन परियोजनाओं के लिए 13,339 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 4,756.68 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता (सीए) शामिल है। इन परियोजनाओं में से 7,810.68 करोड़ रु. की 433 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 5,528.75 करोड़ रु. की 12 परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं। कुल 12,637.60 करोड़ रु. के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

अमृत के तहत तमिलनाडु राज्य ने 7,436.02 करोड़ रु. की 18 जलापूर्ति परियोजनाओं और 5,670.8 करोड़ रु. की 18 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अमृत मिशन के तहत और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करते हुए, 729.4 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) जल शोधन संयंत्र क्षमता और 289.97 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता विकसित की गई है; 16.07 लाख जल नल कनेक्शन (नए/ठीक किए गए) और 25.20 लाख सीवर कनेक्शन (नए/ठीक किए गए) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के तहत शामिल किए गए घरों सहित) प्रदान किए गए हैं।

अमृत के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य द्वारा 232.61 करोड़ रु. की 409 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 337.66 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित किया गया है।

अमृत 2.0 के तहत अमृत मित्र पहल को शुरू किया गया है, ताकि जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण और अन्य जल क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके, जिसमें पार्कों और हरित क्षेत्रों का रख-रखाव शामिल

है। अब तक तमिलनाडु राज्य में अमृत मित्र के तहत 9.27 करोड़ रु. की 99 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

अमृत दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति आवधिक रूप से पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अमृत के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। आईआरएमए रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है। साथ ही, अमृत के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/क्षेत्रीय दौरों आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है

******